झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची–3

पत्रांक : वि0प्रा0 / सू0त0–382 / 03 (पार्ट–1) – 978 राँची, दिनांक :– 29.07.2021

प्रेषक,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष
झारखण्ड, राँची।

विषयः झारखण्ड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्षों के कार्यालयों एवं आवास / आवासीय कार्यालयों में ब्रॉड–बैंड संसर्ग (Broadband connectivity) स्थापित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि वर्त्तमान में कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कई योजनाएं राज्य में संचालित की जा रही है तथा इंटरनेट संबंधी संचार का महत्व काफी बढ़ गया है, यह आवश्यक है कि सरकार के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के आवास / आवासीय कार्यालयों एवं कार्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो। उक्त परिपेक्ष्य में राज्य सरकार ने पूर्व में पत्रांक–14 दिनांक 05.01.16 द्वारा बी0एस0एन0एल0 द्वारा दी जा रही विभिन्न ब्रॉड–बैंड कनेक्टिविटी को लेने की अनुमति प्रदान की थी। कालांतर में नेटवर्क की अनुपलब्धता, सेवा संतोषप्रद नहीं होने तथा बी0एस0एन0एल0 की Connectivity उपलब्ध न होने के कारण कुछ परेशानी उत्पन्न हो रही थी। उल्लेखनीय है कि COVID-19 के कारण सभी विभागों में Online कार्य ज्यादा संपादित किया जा रहा है।

अतः वर्णित स्थिति में झारखण्ड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्षों के कार्यालयों एवं आवास / आवासीय कार्यालयों में Broadband Connectivity हेतु मासिक व्यय की जाने वाली राशि (अधिकतम) निम्नरूपेण पुर्ननिर्धारित की गई हैः–

पदनाम	कार्यालय	आवास / आवासीय कार्यालय
मुख्यमंत्री	8000	5000
मंत्री	5000	5000
मुख्य सचिव / अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष	5000	5000

नोट – उक्त राशि पर अतिरिक्त Tax भी देय होगा।

प्रथम बार Broadband Connectivity हेतु आवश्यक modem इत्यादि पर होने वाला व्यय अपेक्षाकृत नगण्य है, इसलिए इसके लिए अलग से बजटीय व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। संबंधित विभाग अपने टेलीफोन व्यय से ही इस राशि का वहन करेंगे। उपर्युक्त सेवा BSNL के अतिरिक्त अन्य सेवा प्रदाता यथा–Reliance Jio, Airtel इत्यादि से भी ली जा सकती है।

उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव
29.7.21

ज्ञापांकः– 978 राँची, दिनांक– 29.07.2021

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव / विकास आयुक्त / राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव
29.7.21

ज्ञापांकः– 978 राँची, दिनांक– 29.07.2021

प्रतिलिपिः– श्री देशबंधु मिश्रा, परामर्शी, SeMT, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं पत्र को विभागीय पोर्टल में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
29.7.21

Skr07.07.21